फा.सं.ई-शासन/3/2024-ई-समन्वय

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संविधान सदन,

नई दिल्ली।

दिनांक 24.09.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में अगस्त, 2024 का मासिक सार।

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ अगस्त, 2024 के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के मासिक सार की प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

हस्ता./-

(प्रभात कुमार त्रिपाठी)

अवर सचिव, भारत सरकार

011-23034746

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उपराष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड़, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सभी सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का अगस्त, 2024 माह का मासिक सारांश।

1. माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/प्रमुख उपलब्धियां:-

क) महत्वपूर्ण विधायी कार्य

I. लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक

1. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
2. गोवा राज्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2024
3. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024
4. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
5. मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024
6. बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2024
7. समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2024
8. बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024
9. रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024

II. राज्य सभा में पुरःस्थापित विधेयक

1. तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
2. बॉयलर्स विधेयक, 2024

III. लोक सभा में पारित विधेयक

1. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024
2. वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024
3. भारतीय वायुयान विधेयक, 2024

IV. राज्य सभा में पारित विधेयक

1. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024
2. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024
3. वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024

V. दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक

1. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024
2. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024
3. वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024

VI. राज्य सभा में वापस लिया गया विधेयक

1. वक्फ संपत्ति (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014

VII. मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति की बैठक

मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति ने 19 अगस्त, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में 19 अगस्त, 2024 के नोट संख्या 05/2024 और 06/2024 पर विचार किया और निम्नलिखित निर्णय लिए:

i. बजट सत्र, 2024 (18वीं लोक सभा का दूसरा सत्र और राज्य सभा का 265वां सत्र), जिसे शुक्रवार, 9 अगस्त, 2024 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, का सत्रावसान कर दिया जाए (2024 का नोट संख्या 5)। इसके पश्चात्, मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति के निर्णय से लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को अवगत कराया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् उनके द्वारा इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गईं।

ii. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उनको प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों का विरोध किए जाने/संबंधित सदस्यों से विधेयक/संकल्प वापस लेने का अनुरोध करने/मनाने, ऐसा न करने पर उनका विरोध करने/समर्थन नहीं करने संबंधी मामलों पर सरकार के निर्णयों का अनुसमर्थन किया। (नोट संख्या 06 वर्ष 2024)

ख) 'डिजिटल विधानमंडलों' के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा):

1) <u>12 अगस्त, 2024 को असम विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) का उद्घाटन</u>

माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा सरमा ने 12 अगस्त, 2024 को दिसपुर, गुवाहाटी में असम विधानसभा में नेवा का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में संसदीय कार्य मंत्रालय के अपर सचिव भी शामिल हुए। इसके अलावा, नेवा के विभिन्न मॉड्यूल्स पर माननीय मंत्रियों, सदस्यों और विधानसभा के अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया।

2) <u>विधानसभा में नेवा परियोजना के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आन्ध्र प्रदेश का दौरा</u>

संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव और संसदीय कार्य मंत्रालय के अपर सचिव ने आन्ध्र प्रदेश में नेवा के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विधानसभा के अधिकारियों के साथ नेवा के बारे में चर्चा करने के लिए 30 अगस्त, 2024 को आंध्र प्रदेश विधानसभा का दौरा किया।

3) <u>नेवा कार्यान्वयन की भावी संभावनाओं के बारे में बिहार विधान परिषद् के अधिकारियों के साथ बैठक</u>

संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने 13 अगस्त, 2023 को संसद भवन, नई दिल्ली में बिहार परिषद् के सचिव और बिहार परिषद् के अन्य अधिकारियों के साथ परिषद् में नेवा परियोजना को पूरा करने के भविष्य के आयाम/रोडमैप पर एक बैठक की अध्यक्षता की।

4) <u>अनुपूरक डीपीआर पर चर्चा हेतु उत्तर प्रदेश परिषद् के अधिकारियों के साथ बैठक</u>

22 अगस्त, 2024 को मंत्रालय के अपर सचिव एवं मंत्रालय के अन्य अधिकारियों की एक बैठक उत्तर प्रदेश परिषद् के अधिकारियों के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक डीपीआर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए अपर सचिव, मंत्रालय के कक्ष में आयोजित की गई।

5) <u>त्रिपुरा विधान सभा की नेवा परियोजना की लेखापरीक्षा</u>

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा ने 5 से 9 अगस्त, 2024 तक त्रिपुरा विधानसभा में नेवा परियोजना की लेखापरीक्षा की।

6) <u>राज्य विधानमंडल को निधि जारी करना</u>

1. नेवा परियोजना की केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त के रूप में रू.2,32,32,492/- (दो करोड़ बत्तीस लाख बत्तीस हजार चार सौ बयानवे रुपये) नेवा के कार्यान्वयन के लिए 16 अगस्त, 2024 को मध्य प्रदेश विधानसभा को जारी किए गए।
2. नेवा परियोजना के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में रु.5,01,99,624/- (पांच करोड़ एक लाख निन्यानबे हजार छह सौ चौबीस रुपये) नेवा के कार्यान्वयन के लिए 14 अगस्त, 2024 को उत्तराखंड विधान सभा को जारी की गई।

7) <u>नेवा के माध्यम से आयोजित सत्र</u>

1. मणिपुर विधानसभा का शरदकालीन सत्र 1 अगस्त, 2024 से 12 अगस्त, 2024 तक आयोजित किया गया।
2. सिक्किम विधानसभा का बजट सत्र 5 अगस्त, 2024 से 9 अगस्त, 2024 तक आयोजित किया गया।
3. गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त, 2024 से 23 अगस्त, 2024 तक आयोजित किया गया।
4. असम विधानसभा का पहला सत्र 22 से 30 अगस्त, 2024 तक नेवा के माध्यम से आयोजित किया गया।
5. मेघालय विधानसभा का शरदकालीन सत्र 23 से 30 अगस्त, 2024 तक नेवा के माध्यम से आयोजित किया गया।

8) <u>क्षमता निर्माण उपाय</u>

6 अगस्त 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड विधानसभा के अधिकारियों को प्रश्न मॉड्यूल के बारे में जानकारी दी गई।

ग) संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन

अगस्त, 2024 के अंत में, लोक सभा के 831 आश्वासन तथा राज्य सभा के 583 आश्वासन लंबित थे। माह के दौरान, 27 आश्वासन लोक सभा की कार्यवाही से निकाले गए तथा 264 आश्वासन लोक सभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के कहने पर जोड़े गए, जबकि 44 आश्वासन राज्य सभा की कार्यवाही से निकाले गए।

अगस्त, 2024 के दौरान, 25 कार्यान्वयन प्रतिवेदन लोक सभा के पटल पर तथा 38 कार्यान्वयन प्रतिवेदन राज्य सभा के पटल पर रखे गए।

घ) युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना

1.	दिल्ली के विद्यालयों के लिए 56वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का पुरस्कार वितरण समारोह 6 सितंबर, 2024 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
2.	विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 का अभिविन्यास पाठ्यक्रम 25-26 सितंबर, 2024 को मुन्नार, केरल में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
3.	अगस्त, 2024 के दौरान, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की ओर से कुल 3124 नए पंजीकरण एनवाईपीएस पोर्टल पर किए गए। 178 संस्थानों ने युवा संसद की बैठक आयोजित करने के पश्चात् एनवाईपीएस पोर्टल पर पूर्णत: या आंशिक रूप से फोटो, वीडियो, रिपोर्ट, छात्र विवरण आदि अपलोड किए।

ङ) सर्वदलीय बैठकें

6 अगस्त 2024 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर चयनित नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता माननीय रक्षा मंत्री ने की। विदेश मंत्री ने नेताओं को इस मुद्दे पर जानकारी दी।

च) लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत तथा राज्य सभा में नियम 180क-ङ के अंतर्गत विशेष उल्लेखों के माध्यम से उठाए गए मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	**राज्य सभा में नियम 180क-ङ के अंतर्गत विशेष उल्लेख**
01.08.2024 की स्थिति अनुसार लंबित मामले	183	131
माह के दौरान उठाए गए मुद्दे	240	150
कुल मामले	423	281
माह के दौरान प्राप्त उत्तर	048	017
माह के अंत में लंबित मामले	**375**	**264**

छ) परामर्शदात्री समितियों का कार्यकरण

अगस्त, 2024 के दौरान भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/बोर्डों/परिषदों/आयोगों आदि में मनोनीत संसद सदस्यों के नाम:-

क्र.सं.	**संसद सदस्य का नाम**	**परामर्शदात्री समिति का नाम जिस पर नामित किया गया**	**कार्यालय ज्ञापन/अधिसूचना जारी करने की तिथि**
1	क) डॉ. रवीन्द्र नारायण बेहरा, संसद सदस्य (लोक सभा) ख) श्री भाऊसाहेब राजा राम वाकचौरे, संसद सदस्य (लोक सभा) ग) श्री नारायण कोरागप्पा, संसद सदस्य (राज्य सभा) घ) श्रीमती संगीता यादव, संसद सदस्य (राज्य सभा)	संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की हिन्दी सलाहकार समिति	08.08.2024
2	क) श्री विनोद चावड़ा, संसद सदस्य (लोक सभा) ख) श्री राजू बिस्ता, संसद सदस्य (लोक सभा) ग) श्री मदन राठौर, संसद सदस्य (राज्य सभा)	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति	02.08.2024

	घ) श्री प्रदीप कुमार वर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा)		
3	क) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, संसद सदस्य (लोक सभा) ख) श्री सतीश गौतम, संसद सदस्य (लोक सभा) ग) डॉ. सिकंदर कुमार, संसद सदस्य (राज्य सभा) घ) डॉ. भीम सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा)	विदेश मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति	02.08.2024
4	क) श्री सुरेश कश्यप, संसद सदस्य (लोक सभा) ख) श्री अनूप संजय धोत्रे, संसद सदस्य (लोक सभा) ग) श्री कृष्ण लाल पंवार, संसद सदस्य (राज्य सभा) घ) श्री अमर पाल मौर्य, संसद सदस्य (राज्य सभा)	विद्युत मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति	02.08.2024
5	क) श्रीमती कृति देवी देवबर्मन, संसद सदस्य (लोक सभा) ख) श्री अमरसिंग टिस्सो, संसद सदस्य (लोक सभा)	उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति	30.08.2024
6	क) डॉ. संबित पात्रा, संसद सदस्य (लोक सभा) ख) श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा, संसद सदस्य (लोक सभा) ग) श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा, संसद सदस्य (राज्य सभा)	राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	07.08.2024

2. लंबे समय तक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण रुके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले
-शून्य-

3. तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन हेतु स्वीकृति' के मामलों की संख्या
-शून्य-

4. उन मामलों का विवरण जिनमें कार्य निष्पादन नियमों या सरकार की स्थापित नीति से विचलन शामिल रहा।
-शून्य-

5. जारी स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के तहत प्रगति)
-गतिविधियां की जा रही हैं और उनकी नियमित निगरानी की जा रही है।

6. स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति
-इस मंत्रालय के तत्वावधान में कोई स्वायत्त निकाय नहीं है।

7. शासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित टोल और अनुप्रयोगों के उपयोग हेतु उठाए गए विशिष्ट कदमों की जानकारी
- लागू नहीं-

8. स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय/विभाग में वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों की रिक्ति स्थिति
-वर्तमान में मंत्रालय में वरिष्ठ स्तर के सभी पद भरे हुए हैं।

9. उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है
-शून्य-

10. माह के दौरान स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का विवरण और मंत्रालय/विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की स्थिति।
-शून्य-